भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 432

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एफपीओ को वित्तीय सहायता

432. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में कितने एफपीओ को केंद्र सरकार की योजना के तहत इक्विटी अनुदान या ऋण गारंटी प्राप्त हुई है;

(ख) दक्षिणी क्षेत्रों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं;

(ग) क्या सरकार एफपीओ के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल पहुँच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): 30 जून, 2025 तक, 224 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को इक्विटी अनुदान सहायता प्राप्त हुई है और आंध्र प्रदेश में 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 140 एफपीओ को क्रेडिट गारंटी कवर स्वीकृत किया गया है।

(ख): समुदाय-आधारित संस्थाएँ होने के कारण, एफपीओ को अपने प्रारंभिक व्यावसायिक चरणों में परिचालन, संस्थागत और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार निम्नलिखित विशेषताओं के साथ 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रही है:

(i) 5 वर्षों के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता हेतु क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) की स्थापना।

(ii) प्रबंधन लागत के रूप में प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये तक का प्रावधान और प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये तक प्रति किसान सदस्य 2,000 रुपये का इक्विटी अनुदान।

(iii) संस्थागत ऋण तक पहुँच में सुधार हेतु क्रेडिट गारंटी सुविधा।

(iv) राज्य सरकारों के समन्वय से, एफपीओ को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मंडी आदि सहित इनपुट लाइसेंस जारी करने की सुविधा प्रदान करना ताकि वे कृषि-व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें।

(v) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु समर्पित एफपीओ एमआईएस पोर्टल।

(vi) बाजार संपर्कों को प्रोत्साहन देने और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साप्ताहिक वेबिनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) एवं (घ): 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की योजना के अंतर्गत, एक सुदृढ़ संस्थागत फ्रेमवर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) योजना के कार्यान्वयन में समन्वय और सहायता हेतु केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए)।

(ii) सीबीबीओ द्वारा एफपीओ को 5 वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्र-स्तरीय क्षमता निर्माण, व्यवसाय योजना, तकनीकी सहायता और डिजिटल सुविधा प्रदान करना।

(iii) डिजिटल बाजार तक पहुँच प्रदान करने के लिए एफपीओ को ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार), ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स हेतु ओपेन नेटवर्क) और जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है।

(iv) डिजिटल माध्यमों से सभी स्टेकहोल्डरों (एफपीओ/सीबीबीओ/किसानों) के क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए उक्त योजना के अंतर्गत एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल का प्रावधान किया गया है।

(v) एफपीओ की प्रगति पर नज़र रखने, डिजिटल रिपोर्टिंग और विश्लेषण को सक्षम करने के लिए समर्पित एफपीओ मॉनीटरिंग इन्फोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) पोर्टल।

*****